न्यायालय अति. जिला कलक्टर,राजसमंद
(नरेश बुनकर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)
अपील संख्याः 14 / 2025
दायर दिनांकः 06.06.2025
निर्णय दिनांक 12.05.2026

—: अनवान :—

श्री मांगीलाल पिता कालू गुर्जर निवासी भावा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द
— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार कुंवारिया प्रकरण संख्या 14 / 2025 ना.क. सरकार बनाम मांगीलाल गुर्जर निर्णय दिनांक 21.05.2025 से व्यथित होकर याचिका अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1— श्री शेषमल गाडरी, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंवारीया के आदेश दिनांक 21.05.2025, प्रकरण संख्या 14 / 2025 नाजायज कब्जा के विरूद्ध अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भावा पटवार हल्का भावा तहसील कुंवारिया हल्का साकरोदा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 1525 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किस्म बिलानाम स्थित है । आराजी संख्या 1525 में से 0.03650 हैक्टेयर भुमि पर अपीलार्थी व उसके परिवारजनो का सदीप से कब्जा आधिपत्य होकर बाप दादाओ के समय से काबिज होकर बाडे के रूप में उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अपीलांट के पूर्वाधिकारियो ने इस बाडे की भुमि के चारो और पत्थरो की दिवार बना इसे मेहफुज कर रखा है। अंदर मवेशी बांधने हेतु टीनशेड लगा कर मवेशी बांधता है व मवेशीयो के लिए घास फुस आदि रखता है। उक्त बाडे को तत्कालीन ग्राम पंचायत मोही से अपीलांट के पिता कालू जी ने में दिनांक 17.07.1960 को निलामी में क्रय किया है। उक्त बाडे के आस पास काफी सारे मकान

होकर उक्त बाडा आबादी क्षेत्र के मध्य है। उक्त बाडे के सटमा स्थित प्लोट का विक्रय पत्र निष्पादित व पंजियन हुआ जो उप पंजियक कुंवारिया द्वारा पंजियन किया गया है जिसमें भी पूर्व दिशा में अपीलांट के पिता कालू गुर्जर लिखा हुआ है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अपीलांट वैद्य रूप से इस बाडे पर कब्जा आधिपत्य होकर इसका उपयोग उपभोग किया जा रहा है। लेकिन अपीलार्थी का नियमित कब्जा होते हुऐ भी उक्त भुमि अपीलार्थी के नाम पर नियमन करने का आदेश जारी नहीं किया जाकर बेदखली का जो आदेश पारित किया है उसके विरूद्ध यह अपील इन आधारो पर प्रस्तुत है कि उक्त भुमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है जिस पर अपीलार्थी व उसके पूर्वाधिकारियो का 100 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है लेकिन अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुऐ बेदखली का आदेश पारित कर दिया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को को दिनांक 21.05.2025 की पेशी का नोटिस दिया एवं अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही दिनांक 21.05.2025 को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया पटवारी हल्का ने उक्त भुमि पर मौके पर बाडा बना होकर चारो और बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है एवं पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में यही अंकन किया है इस बिन्दू पर अधिनस्थ न्यायालय ने मनन विचार भी नहीं किया और आलौच्य आदेश पारित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा भी बिलानाम भुमि पर नियमन करने परिपत्र कमांक प –6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भुमियो पर दिनाक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणो को नियमन करने की जारी निर्देशो में नियमन की दिनांक 15.07.1994 से बढ़ा कर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया है इसके उपरान्त वर्ष 2018 से उक्त अवधि बढ़ा कर 2000 से 2018 कर दी गई है। प्रशासन गाँवो के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा इस अवधि की वृद्धि की जा चुकी है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंवारिया द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 21.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भुमि को अपीलार्थी के नाम नियमन करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम भावा पटवार हल्का भावा तहसील कुंवारिया हल्का साकरोदा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 1525 रकबा 0.2266 हैक्टेयर किस्म बिलानाम स्थित है । आराजी संख्या 1525 में से 0.03650 हैक्टेयर भुमि पर अपीलार्थी व उसके परिवारजनो का सदीप से कब्जा आधिपत्य होकर बाप दादाओ के समय से काबिज होकर बाडे के रूप में उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अपीलांट के पूर्वाधिकारियो

ने इस बाडे की भुमि के चारो और पत्थरो की दिवार बना इसे मेहफुज कर रखा है। अंदर मवेशी बांधने हेतु टीनशेड लगा कर मवेशी बांधता है व मवेशीयो के लिए घास फुस आदि रखता है। उक्त बाडे को तत्कालीन ग्राम पंचायत मोही से अपीलांट के पिता कालू जी ने में दिनांक 17.07.1960 को निलामी में क्रय किया है। उक्त बाडे के आस पास काफी सारे मकान होकर उक्त बाडा आबादी क्षेत्र के मध्य है। उक्त बाडे के सटमा स्थित प्लोट का विक्रय पत्र निष्पादित व पंजियन हुआ जो उप पंजियक कुंवारिया द्वारा पंजियन किया गया है जिसमें भी पूर्व दिशा में अपीलांट के पिता कालू गुर्जर लिखा हुआ है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अपीलांट वैद्य रूप से इस बाडे पर कब्जा आधिपत्य होकर इसका उपयोग उपभोग किया जा रहा है। उक्त भुमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है जिस पर अपीलार्थी व उसके पूर्वाधिकारियो का 100 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है लेकिन अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुऐ बेदखली का आदेश पारित कर दिया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को को दिनांक 21.05.2025 की पेशी का नोटिस दिया एवं अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही दिनांक 21.05.2025 को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया पटवारी हल्का ने उक्त भुमि पर मौके पर बाडा बना होकर चारो और बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है एवं पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में यही अंकन किया है इस बिन्दू पर अधिनस्थ न्यायालय ने मनन विचार भी नहीं किया और आलौच्य आदेश पारित कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखा है। राज्य सरकार द्वारा भी बिलानाम भुमि पर नियमन करने परिपत्र कमांक प –6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भुमियो पर दिनाक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणो को नियमन करने की जारी निर्देशो में नियमन की दिनांक 15.07.1994 से बढ़ा कर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया है इसके उपरान्त वर्ष 2018 से उक्त अवधि बढ़ा कर 2000 से 2018 कर दी गई है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंवारिया द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 21.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भुमि को अपीलार्थी के नाम नियमन करने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंवारीया द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बिलानाम भूमि पर कब्जा साबित होने से विधिसम्मत व नियमानुसार कार्यवाही की गई। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का भावा द्वारा रिपोर्ट जिसमें अंकित

P.T.O.

सिवायचक भूमि पर अपीलार्थी मांगीलाल ने खसरा संख्या 1525 कुल रकबा 0.2266 है. में से 0.0360 है. भूमि पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमी बताया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी श्री मांगी लाल पिता कालु गुर्जर को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया। अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विवरण अनुसार दिनांक 21.05.2025 को अतिक्रमी मांगी लाल उपस्थित हुआ जिसके हस्ताक्षर पत्रावली पर अंकित है एवं इसी दिनांक 21.05.2025 को ही अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर उसके विरूद्ध बेदखली आदेश पारीत किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बिलानाम भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे से बेदखली आदेश पारित करने व अतिक्रमी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उक्त विवादित भूमि के संबंध में पट्टा जारी होना बताते हुए पट्टे की प्रति प्रस्तुत की। ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मैं, अपीलार्थी की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए अपीलार्थी के दस्तावेजों पर गुणावगुण विवेचन कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करवाया जाना उचित समझता हूँ।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार कुंवारीया द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 को खारीज किया जाता हैं। तथा प्रकरण तहसीलदार कुंवारीया को प्रतिप्रेषित (REMAND) कर निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलांट को शहादत, सबूत एवं सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए अपीलार्थी के दस्तावेजों पर गुणावगुण विवेचन कर प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

(नरेश बुनकर)
अति.जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(नरेश बुनकर)
अति.जिला कलक्टर
राजसमंद